

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335] No. 335] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2018/भाद्र 14, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018/BHADRA 14, 1940

# पंजाब एण्ड सिंध बैंक

## (प्रधान कार्यालय)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

- सं. PSB/STAFF/OSR/2018.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 और 12 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक** के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में आगे संशोधन हेतु एतदुद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:—
- 1. संक्षिस शीर्षक और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा।
  - (2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि पर लागू हो जाएंगे।
- 2. **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में विनियमन 6 के उप-विनियमन (2) के लिए, निम्न उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - "(2) उप अधिनियम (1) के अधीन पदों के वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु बैंक की प्रत्येक शाखा को मानदंडों के अनुसार बैंक द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा जिसका बैंक के **बोर्ड** द्वारा अनुमोदन किया जाएगा"।

डी. एस. ग्रोवर, उप महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./213/18]

5179 GI/2018 (1)

### PUNJAB AND SIND BANK

### (Head Office)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2018

- **No.** PSB/STAFF/OSR/2018.—In exercise of the powers conferred by Section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the **Punjab & Sind Bank** in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments to the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, namely:—
- **2. Short title and Commencement.—**(1) These Regulations may be called the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2018
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the **Punjab & Sind Bank** (Officers') Service Regulations, 1982, for sub-regulation (2) of regulation 6, the following sub-regulation shall be substituted, namely:
  - "(2) For the purpose of categorization of posts under sub-regulation (1) every branch of the Bank shall be classified by the Bank in accordance with criteria to be approved by the **Board** of the Bank."

D. S. GROVER, Dy. General Manager [ADVT.-III/4/Exty./213/18]